

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी

श्रीमती सुन्दरबाई



मुकाम : रावतभाटा

बनाम लक्ष्मीचन्द

किस्म मुकदमा वाद-पत्र

नं० 19

सन् 2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
13 <sup>06</sup> / <sub>2023</sub>	पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को सम्मन जारी होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 11-07-2023 को पेश हो।  उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा	
11 <sup>07</sup> / <sub>23</sub>	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने न्यायालय में उपस्थित हो वादी व प्रतिवादी के बीच के विवाद के विषय में आपसी राजीनामा लेने का निवेदन किया और पत्रावली अंतिम कोर्ट कार्यवाही नहीं चाहने का निवेदन कर पत्रावली वाद-पत्र को Not-Process किया। पत्रावली को शायद भुल कर किया। वादी व प्रतिवादी के बीच आपस में राजीनामा हो जाने तथा वकील वादी द्वारा पत्रावली को Not-Process करने से पत्रावली के इसी स्तर पर विवाद में खारिज की जाती है। पत्रावली के सल शुमार लेकर नम्बर से इसकी जातिर शामिल पत्रावली है।  उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा	Not-Process राजीनामा होने से वाद-पत्र के कोर्ट कार्यवाही नहीं चाहते हैं 